



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-11.06.2024

विषय:-ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त गुड्डू कुमार गौड़ को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 371/2023 धारा- 380/411आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू कुमार गौड़ पुत्र रमेश कुमार गौड़ निवासी घनहड़ा थाना सलेमपुर जिला देवरिया को थाना लंका पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.06.2024 को मा0 न्यायालय ACJM-3 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त गुड्डू गौड़ उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी